रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED NO. D.-(D.-N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 30] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 1984/भाद्र 10, 1906

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 1984/BHADRA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1984

का. नि. आ. 175.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सैनिक अकादमी, (स्थापन अधिकारी) भर्ती नियम, 1975 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में स्थापन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सैनिक अकादमी (स्थापन अधिकारी) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान — उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
स्थापना अधिकारी	1* (1984) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित (अननुभागीय)	650-30-740-35-810-द.रो.-35-880-40-1000-द.रो.-40-1200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य । (ii) किसी सरकारी कार्यालय या लोक निकाय या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक संगठन में पर्यवेक्षी हैसियत में प्रशासन, लेखा और स्थापन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव । टिप्पण :— उम्मीदवार के अन्यथा योग्य होने पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार उपर्युक्त योग्यताओं में ढील दी जा सकती है।	नहीं	2 वर्ष

8
टिप्पण :-- अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित योग्यता रखने वाले अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं । वांछनीय : सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान ।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 1' केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 550–900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 425–800 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । (2) ऐसा विभागीय कार्यालय अधीक्षक श्रेणी 1, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे कार्यालय अधीक्षण श्रेणी 1, पर भी, जिसने कार्यालय अधीक्षक श्रेणी 1 और कार्यालय अधीक्षक श्रेणी ii की श्रेणियों में 8 वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है, विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इसी नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए (समूह "ख") विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त सचिव (जो)—अध्यक्ष, 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य 3. उप निदेशक, सैनिक प्रशिक्षण—सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । टिप्पण .—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु यदि संघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।

[फा. सं. 77556/जी एस/एम. टी. 7]

एम. सी जुनेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th August, 1984

S.R.O. 175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Military Academy (Establishment officer) Recruitment Rules, 1975, except as respects things done or omitted to be done before such supersess on, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Establishment officer in Indian Military Academy Dehra Dun, under the Ministry of Defence, namely·—

1.Short title and commencement:— (1) These rules may be called the Indian Military Academy (Establishment officer) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:— The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedue annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit other qualifications, etc:— The mothod of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified . columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqulifications:— No person:—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :—

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special catogories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Establishment Officer	1* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted (Ministerial)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	No.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' experience of administration, accounts and establishment work in a supervisory capacity in a Government Office or a Public Body or a Commercial Organisation of repute.	No	2 years	By promotion/transfer on deputation failing which by direct recruitment.

8

Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up th e vacancies reserved for them.

Desirable :

Knowledge of Government rules and regulations.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consuled in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
Pomotion/transfer on deputation : 1. Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years' service in posts in the scale. of Rs. 550-900 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 425-800 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. 2. The departmental Office Superintendent Grade I with 3 years regular service in the grade failing which office superintendent Grade I with 8 years' combined regular service in the grades of Office Superintendent Grade I and Office Superintendent Grade II will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion C ommittee (for considering confirmation) 1. Joint Secretary(G)—Chairman. 2. Chief Administrative Officer—Member. 3. Deputy Director of Military Training—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Services Commission shall be held.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[File No. 77556/GS/MT-7]
M. C. JUNEJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1984

का. नि. आ. 176:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा संशोधन नियम 1984 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 के नियम 8 में, (क) उपनियम (2) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात्:—

(क) मूल्यांकन बोर्डों का एक वर्ष में कम से कम एक बार या ऐसे अंतरालों पर संयोजन किया जाएगा जो आयोग के परामर्श से महानिदेशक द्वारा विहित किए जाएं:—

(ख) उप नियम (2) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा; अर्थात् :—

(घ) "ऐसे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन के पात्र होंगे। परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी भी जिन्होंने किसी श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा उपार्जित सभी रिपोर्टें "उत्कृष्ट" हैं और ऐसे अधिकारी भी जिन्होंने किसी श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा अर्जित सभी रिपोर्टें अतिउत्तम" हैं अगली उच्चतम श्रेणी में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन के पात्र होंगे।

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात्:—

(3). सेवा को भविष्य में बनाए रखने के लिए नियम 6 के खण्ड (2) से (6) विनिर्दिष्ट विभिन्न पद्धतियों के अधीन अधिकारियों का

चयन केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के सिवाए आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

नियम (6) के खण्ड (2) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा चयन साक्षात्कार या लिखित परीक्षण या दोनों द्वारा किया जाएगा, और अभ्यर्थी अनुसूची III के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट आयु सीमा के बीच के होंगे ।

इस उपनियम में उल्लिखित पद्धतियों के अधीन सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव मोटे तौर पर वे होंगे जो अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है परन्तु यह कि अनुसूची III के खण्ड (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आयु सीमा नियम 6 के खण्ड (1) और (3) से (6) के अधीन उल्लिखित पद्धतियों द्वारा किए गए चयन को लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से महानिदेशक द्वारा विहित किया जाएगा ।

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) नियम 6 के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को आरम्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे महानिदेशक के विवेकानुसार बढ़ाया या कम किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाने या कम करने के प्रस्ताव की दशा में महानिदेशक उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना संबंधित अधिकारियों को देगा । प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पद पर नियुक्ति की अवधि है पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । तथापि प्रतिनियुक्ति भरना केवल प्रथम चार वर्षों के लिए ग्राह्य होगा; "

(ङ) उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:

"(5) नियम 6 के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति के द्वारा संविदा पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को साधारणतया 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा । तथापि वे एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । संविदा की अवधि महानिदेशक के विवेकानुसार बढ़ाई या कम की जा सकती है । संविदा की अवधि को बढ़ाने या कम करने के प्रस्ताव की दशा में महानिदेशक उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को देगा । 6 वर्ष के अंत में संविदा का नवीकरण किया जा सकेगा ।"

भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 4 में का०नि०आ० 8 तारीख 30 दिसम्बर 1978 द्वारा प्रकाशित रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम का०नि० आ० 307 तारीख 10 अक्तूबर 1980, का. नि. आ. 196 तारीख 2 अगस्त 1982 और का. नि. आ. 159 तारीख 5 मई, 1983 द्वारा संशोधित किए गए हैं ।

[सं. 10358/कार्मिक/आर डी- 21(सी)/3612/डी(आर एण्ड डी)]

बी० एल० मथूरिया, निदेशक (आर एण्ड डी)

New Delhi, the 7th Augus., 1984

S. R. O. 176 :—. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes he following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Servic 1979, in rule 8,

(a) For clause (a) of sub-rule (2), the following rule shall be substituted, namely :—

"(a) Assessment Boards shall be convened at least once a year or at such intervals as may be prescribed by the Director General in consultation with the Commission."

(b) for clause (d) of sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(d) All officers who have completed five years regular Service in the grade shall be eligible for assessment for promotion to the next higher grade provided that those who have rendered 'three years' regular service in the grade and all the reports earned by them during this period are 'Outstanding' and those who have rendered 'four years' reguar service in the grade and all the reports earned by them during this period are "Very Good' shall also eligible for assessment for promotion to the next higher grade."

(c) for sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) Selection of officers under the different methods specified in clauses (2) to (6) of rule 6, for future maintenance of service shall be in consultation with the Commission except when appointing a Central Government Group 'A' officer on deputation. Selection by direct recruitment under clause (2) of rule 6, shall be by interview or written test or both and the candidates shall be within the age limit as specified under column (5) of Schedule III. The educatioal qualifications and experience for appointment to various posts in the service under the methods mentioned in this sub-rule shall be broadly as specified in Schedule III :

Provided that the age limit specified under column (5) of Schedule III shall not apply to Selection by methods mentioned under clause (1) and (3) to (6) of rule 6 :

Provided further that the specific educational qualifications and experience reguired for different posts shall be prescribed by the Director General on each occasion in consultation with the Commission."

(d) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) Officers appointed on deputation by the method specified in clause (4) of the rule 6 shall be initially appointed for a period of two years which may be extended or curtailed at the discretion of the Director General. In case where it is proposed to extend or curtail the period of deputation, the Director General shall record the reasons there for in writing and give notice in writing of his intention so to do to the concerned officers. The maximum period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceeding an appointment in the same organisation/department shall not exceed five years. However, deputation allowance shall be admissible only for the first four years of deputation.

(e) for sub-rue (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) Officers appointed on contract by the method specified in clause (4) of rule 6 shall ordinarily be appointed for a period of six years. They shall, however, be on probation for a period of one year. The period of contract may be extended or curtailed at the discretion of the Director General. In case where it is proposed to extend or curtail the period of contract the Director General shall record the reasons therefor in writing and give notice in writing of his intention so to do to the concerned officer. The period of contract may be renewed at the end of six years."

Rule.—The Defence Research and Development Service Rules, published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated 30th December, 1978 have been amended vide S.R.O. 307, dated 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated 2nd August, 1982 and S.R.O. 159, dated 5th May, 1983.

[No. 10358/Pers/RD-21(c)/3612D (R&D)]
B. L. MATHURIA, Director (R&D)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1984

का. नि. आ. 177.— केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है :

1. महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर

2. रक्षा उत्पादन विभाग (नि. म. नि.)

(क) निरीक्षण नियंत्रणालय (विशेष वाहन), देहू रोड

(ख) शस्त्र उपस्कर अतिरिक्त पुर्जों का मुख्य निरीक्षणालय, बंबई

(ग) धातु निरीक्षणालय, अम्बरनाथ

(घ) सैन्य विस्फोटक निरीक्षणालय, (अ. वि. फै.) किरकी

(ङ) युद्धपोत उपस्कर का मुख्य निरीक्षणालय, बंबई

(च) मुख्य निरीक्षणालय (लघु शस्त्र), इशापुर

(छ) उत्पादन तथा निरीक्षण स्थापना (नौसेना), कलकत्ता

(ज) इलेक्ट्रानिकी निराक्षणालय, नई दिल्ली।

3. रक्षा भूमि तथा छावनी महानिदेशालय

(क) रक्षा सम्पदा अधिकारी, जालन्धर छावनी

(ख) छावनी अधिशासी अधिकारी, बेलगाम

4. तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)

(क) मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय, हैदराबाद

[फा. सं. 1 (1) / 83 डी-हिन्दी (1)]
अनुग्रह नारायण तिवारी, निदेशक, योजना (1)

New Delhi, the 10th August, 1984

S.R.O. 177.—In pursuance of sub-rule 4 of the Rule 10 of the Official Language (use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Director General, National Cadet Corps.

2. Department of Defence Production (Director General of Inspection).

(a) Controllerate of Inspection (Special Vehicle) Dehu Road.

(b) Chief Inspectorate of Weapons Equipment/Spares, Bombay.

(c) Inspectorate of Metal, Ambarnath.

(d) Military Explosives Controllerate of Inspection, Kirkee.

(e) The Chief Inspector Warship, Equipment, Bombay.

(f) Chief Controllerate of Inspector (Small Arms), Ishapur.

(g) Production & Inspection Establishment (Naval), Calcutta.

(h) Inspectorate of Electronics, New Delhi.

3. Directorate of Military Lands & Cantonment.

(a) Defence Estate Officer, Jullunder Cantt.

(h) Inspectorate of Electronics, New Delhi.

4. Directorate of Technical Development & Production (Air).

(a) Chief Resident Inspector, Hyderabad.

[F. No. 1(1)/83-D(Hindi-I)]
A. N. TIWARI, Director (Planning)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1984

का. नि. आ. 178.—केन्द्रीय सरकार, तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तट रक्षक में कमांडेन्ट (विधि अधिकारी, ज्येष्ठ श्रेणी) और उप कमांडेन्ट (विधि अधिकारी कनिष्ट श्रेणी) और उप कमांडेन्ट के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तट रक्षक विधि अधिकारी भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं आदि:— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उ बंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयनपद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. कमांडेंट (विधि अधिकारी ज्येष्ठ श्रेणी)	2.	समूह "क" राजपत्रित	1200-50-1700 रु. (100 रु. विशेष वेतन सहित)	चयन	अधिमानत : 45 वर्ष से कम उन सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है जो उसी या सम्बद्ध काडरों में कार्य कर रहे हैं और जब यह संबंध सिद्ध किया जा सकता है कि पूर्ववर्ती सेवा आवेदित पद के कृत्यों के निर्वहन में उपयोगी होगी। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप मे रहते है (आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (i) विधि में उपाधि के साथ विधिक विषयों में 6 वर्ष का अनुभव। (ii) किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामावलीगत किए जाने के लिए अर्हित होना चाहिए वांछनीय: (i) विधि में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) अन्तरराष्ट्रीय विधि समुद्री विधि से संबंधित कार्य का ज्ञान अनुभव।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियां, भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(i) प्रोन्नति ऐसे विभागीय उप कमांडेंट (विधि अधिकारी कनिष्ठ श्रेणी) जिन्होंने उस रैंक में नियमित आधार पर 3 वर्ष सेवा की है। (ii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (क) नौसेना सेवा और वायु सेना के ऐसे उपयुक्त सेवारत अफसर जिन्होंने 8 वर्ष आयुक्त सेवा की है जिनके पास विधि में उपाधि है और जो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि में अनुभव वांछनीय है। (ख) (क) के न हो सकने पर सशस्त्र सैनिक बलों (सीमा सुरक्षा बल आदि) के ऐसे उपयुक्त सेवारत अफसर जो सवृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अफसर जिन्होंने 700-1300 रुपये और 1200-1700 रु. के वेतनमान में क्रमशः 6 वर्ष और दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास विधि में उपाधि है तथा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामावली गत किए गए हैं। अन्तरराष्ट्रीय विधि/समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।

(ग) (क) और (ख) के न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार कार्डरो के ऐसे उपयुक्त सेवारत सिविलियन अधिकारियो मे से जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 700-1300 रु के या 1200-1700 के वेतनमान मे क्रमश 6 और 2 वर्ष सेवा की है जिनके पास विधि मे उपाधि है तथा जो उच्च न्यायालय मे अधिवक्ता के रूप मे नामावली-गत किए गए है। अतरराष्ट्रीय विधि समुद्री विधि मे अनुभव वांछनीय है।

टिप्पण प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
(प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्न-लिखित से मिलकर बनेगी महानिदेशक , तट रक्षक———अध्यक्ष रियर एडमिरल या रेक का नौसेना मुख्यालय का प्रतिनिधि—सदस्य म नि उ म नि के रेक का तट रक्षक का प्रतिनिधि—सदस्य।	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6
2 उप जगाडेट (विधि अधिकारी कनिष्ठ श्रेणी)	2	समूह "क" राजपत्रित	1200-50-1700रु	लागू नही होता	अधिमानत 45 वर्ष से कम उन सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है जो उसी या सहबद्ध कार्डरो मे कार्य कर रहे है और जब यह संबंध सिद्ध किया जा सकता है कि पूर्ववर्ती सेवा आवेदित पद के कृत्यो के निर्वहन मे उपयोगी होगी। टिप्पण . आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत मे रहने वाले अभ्यर्थियो से (उनसे भिन्न जो जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप मे रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अतिम तारीख होगी।

7	8	9
आवश्यक (i) विधि मे उपाधि के साथ विधिक विषयो मे 4 वर्ष का अनुभव। (ii) उच्च न्यायालय मे नामावली गत किए जा सकने के लिए अर्हित होना चाहिए वाछनीय (i) विधि मे स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) अन्तरराष्ट्रीय विधि समुद्री विधि से संबंधित कार्य का ज्ञान अनुभव ।	लागू नही होता	दो वर्ष

10	11
स्थानातरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनियोजन द्वारा।	(1) स्थानातरण /प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण नौसेना सेना और वायु सेना के ऐसे उपयुक्त सेवारत अफसर जिन्होने 5 वर्ष आयुक्त सेवा की है और जो उच्च न्यायालय मे अधिवक्ता के रूप मे नामावलीगत है। अतरराष्ट्रीय विधि / समुद्री विधि मे अनुभव वांछनीय है।

	11
	(ख) (क) के न हो सकने पर सम मैनिक बलो (सीमा सुरक्षा बल आदि) के ऐसे उपयुक्त सेवारत अफसर जो सदृश पद धारण किए हुए है या ऐसे अफसर जिन्होने 700-40-900-द.रो-40 1100-50-1300रु. के वेतनमान मे कम से कम 6 वर्ष सेवा की है और जिनके पास कम से कम विधि मे उपाधि है तथा उच्च न्यायालय मे अधिवक्ता के रूप मे नामावलीगत है। अंतराष्ट्रीय विधि/समुद्री विधि मे अनुभव वांछनीय है
	(ग) (क) और (ख) के न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार काडरो के ऐसे उपयुक्त सेवारत सिवलियन अधिकारियो मे से जो सदृश पद धारण किए हुए है या ऐसे अधिकारी जिन्होने 700-40-900-द. रो-40-1100-50-1300 रु. के वेतनमान मे कम से कम 6 वर्ष सेवा की है और जिनके पास विधि मे उपाधि है तथा उच्च न्यायालय मे अधिवक्ता के रूप मे नामावलीगत है। अंतराष्ट्रीय विधि/समुद्री विधि मे अनुभव वांछनीय है।
	टिप्पण - प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी
	(ii) पुनर्नियोजन : नौसेना, सेना और वायुसेना के ऐसे उपयुक्त सेवानिवृत्त नियुक्त अफसर जिन्होने कम से कम 8 वर्ष आयुक्त सेवा की है और जिनके पास कम से कम विधि मे उपाधि है तथा उच्च न्यायालय मे अधिवक्ता के रूप मे नामावलीगत हैं अंतरराष्ट्रीय विधि/समुद्री विधि अनुभव वांछनीय है।

12	13
पुष्टि के सबध मे विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –	लागू नही होता
महानिदेशक, तट रक्षक—अध्यक्ष	
उप-महानिदेशक के रैंक के तट रक्षक के दो—प्रतिनिधि —सदस्य	

[फा० सं० आर० टी० / 0113]
टी० के० बनर्जी, सयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th August, 1984

S.R.O. 178.—In exercise of the powers conferred by Section 123 of the Coast Guard Act 1978 (30 of 1978), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Commandant (Law Officer, Senior Grade), Deputy Commandant (Law Officer, Junior Grade) in the Coast Guard namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Coast Guard Officers (Law Officers) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—Number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Commandant (Law Officer, Senior Grade)	2	Group 'A' Gazetted	Rs. 1200-50-1700 (with Special pay of Rs. 100/-)	Selection	Preferably below 45 years. (relaxable upto 5 years in respect of	Essential : (i) A Degree in Law with 6 years ex-

		6	7
		Government servants as are working in the same or allied cadres and when relationship could be established that the service earlier rendered will be useful for the efficient discharge of the post applied for). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	perience in legal matters. (ii) Should be qualified for enrolement as an advocate in a High Court. Desirable : (i) A Post Graduate Degree in Law. (ii) Knowledge/Experience in assignments connected with International Law/Maritime Law

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
No	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation failing which by diret recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grade from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
11	12	13
(i) Promotion Departmental Deputy Commandants (Law Officers, Junior Grade) with 3 years service in that rank on regular basis. (ii) Transfer on deputation (a) Suitable serving officers from the Navy, Army and Air Force with 8 years commissioned service who possess a Degree in Law and Who have been enrolled as Advocates in High Court. Experience in International Law/Maritime Law is desirable. (b) Failing (a) from amongst suitable serving officers of the para-military forces (Border Security Force etc.) holding analogous posts or officers with 6 years and 2 years regular service in the scale of Rs. 700-1300 and Rs. 1200-1700 respectively, who possess Degree in Law and who have been enrolled as advocates in High Court. Experience in International Law/Maritime Law is desirable. (c) Failing (a) & (b) from amongst suitabe serving civilian officers of the Central Govt. cadres holding analogous posts or officers with 6 and 2 years service in the scale of Rs. 700-1300 and Rs. 1200-1700 respectively who posses a Degree in Law who have been enrolled as Advocates in High Courts. Experience in International Law/Maritime Law is desirable. Note :—The period of deputation will not ordinarily exceed three years	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of— Director General Coast Guard—Chairman Representative of Naval HQ of the rank of R Adm—Member Rep of Coast Guard of the rank of IG/DIG—Member Secretary	Not applicable

1	2	3	4	5	6
Deputy Commandant (Law Officer, Junior Grade)	2	Group 'A' Gazetted	Rs. 1200-50-1700	Not applicable	Preferably below 45 years, (Relax upto 5 years in respect of Government servant as are working in the same or allied cadres and when relationship could be established that the service earlier rendered will be useful for the efficient discharge of the post applied for). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

7	8	9	10
Essential (i) A Degree in Law with 4 years experience in legal matters. (ii) Should be qualified to have been enrolled as advocate in High Court. Desirabe (i) A Post-graduate Degree in Law (ii) Knowledge/Experience in assignments connected with International Law/Maritime Law.	Not applicable	Two years	By transfer/transfer on deputation, failing which by direct recruitment failing which by re-employment.

11	12	13
(i) Transfer/Transfer on deputation (a) Suitable serving officers from the Navy, Army and Air Force with 5 years commissioned service, who possess at least a Degree in Law and are enrolled as advocate in High Court. Experience in International Law/ Maritime Law is desirable. (b) Failing (a) from amongst suibale serving officers of the para-military forces Border Security Force etc. holding analogous posts or officers with at least 6 years of service in the scale of Rs. 70040-900-EB-40-1100-50-1300, who possess at least a Degree in Law and are enrolled as advocate in High Court. Experience in International Law/ Maritime Law is desirable. (c) Failing (a) & (b) from amongst suitable serving civilian officers of the Central Government cadres holding analogous posts or officers with at least 6 years of service in the scale of Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300, who possess at least a Degree in Law and are enrolled as advocate in High Court. Experience in International Law/Maritime Law is desirable. Note:- The period of deputation will not ordinarily exceed 3 years. (ii) Re-employment Suitable retired/released officers from the Navy, Army and Air Force with at least 8 years commissioned service, who possess at least a Degree in Law and are enrolled as advocate in High Court. Experience in International Law/maritime Law is desirable.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:— Director General Coast Guard—Chairman Two representatives of Coast Guard of the rank of DIG.—Members.	Not applicable

[File No. RT/0113]
T.K. BANERJI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984